

# कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज



उत्तर प्रदेश जल निगम

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010

फोन: +91 522 2728985 फैक्स: +91 522 2728988

e-mail: director@cdsupjn.org

Visit us at: www.cdsupjn.org

पत्रांक: ३३

/ CGM-I / १०/०३

दिनांक: २३/३/२०१८

समस्त महा प्रबन्धक,  
सी०एण्ड डी०एस०,  
उ०प्र० जल निगम।

**विषय : Construction and Demolition (C&D) Waste के प्रॉसेसिंग से प्राप्त Recycled Aggregate के प्रयोग को अनिवार्य किये जाने के संबंध में।**

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 की धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में Bureau of Indian Standards द्वारा ISI 383: 2016 को पुनरीक्षित करते हुए C&D अवशिष्ट से प्रॉसेसिंग के उपरान्त तैयार किये गये Recycled Aggregate को एक निर्धारित सीमा तक प्राकृतिक Aggregate के साथ प्रयोग किया जाना अनुमन्य किया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए विज्ञप्ति संख्या-37/अधि. अभि. (टास)/सी०एस०वि० निर्देश/2015-16/71 दिनांक 22.03.2016 द्वारा विशिष्टियों में संशोधन प्रसारित किया गया है।

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके परिपत्र संख्या-4276/59 बी०पी० विंग/2017 एन०जी०टी० दिनांक 16.03.2017 द्वारा विशिष्टियों में उक्त संशोधन को प्रदेश में निर्माणाधीन भवनों में भी उपयोग किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।

अतः लोक निर्माण विभाग का उक्त पत्र, संलग्नक Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की उक्त संदर्भित विज्ञप्ति सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया सम्बन्धित इकाइयों को उपलब्धतानुसार उक्त का प्रयोग किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

✓ २३/३/२०१८  
(ए०केठाराय)  
मुख्य महाप्रबन्धक (मु०)

प०स० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- समस्त मुख्यमहाप्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम।

✓ CGM (N-15)  
मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा प्रेषित  
प्रबन्धक द्वारा प्रेषित  
23/3/2018

✓ २३/३/२०१८  
मुख्य महाप्रबन्धक (मु०)